रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 1991/अग्रहायण 14, 1913
NO. 706] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 1991/AGRAHAYANA 14, 1913

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके**

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1991

का.आ. 818(अ) —केन्द्रीय सरकार, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नारियल विकास बोर्ड में लोक सभा और राज्य सभा द्वारा चुने गए निम्नलिखित संसद् सदस्यों का नाम अधिसूचित करती है और उस प्रयोजन के लिए कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 21(अ) तारीख 12 जनवरी, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 4ख और 4ग तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के अधीन चुने गए :

| | |
|---|---|
| 4ख श्री दत्तात्रेय बन्धारु, संसद सदस्य (लोक सभा) | लोक सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य |
| 4ग श्री एन मुरुगेयन संसद् सदस्य (लोक सभा) | लोक सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य |

[फाइल सं. 14-1/89-एफ. ए.]

एस. एस. नायर, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नारियल विकास बोर्ड गठन, भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड -3 उपखण्ड (ii) तारीख 12-1-1981 में पृष्ठ 47-48 पर भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं. का आ. 21(अ) तारीख 12-1-1981 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उनका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया :—

(1) का.आ. सं. 1237 तारीख 6-4-81 पृष्ठ 1289;

(2) का. आ. सं. 675(अ) तारीख 28-8-81 पृष्ठ 1163-64;

(3) का. आ. सं. 128(अ) तारीख 2-3-82 पृष्ठ 217-18; 7

(4) का.आ. सं. 502 (अ) तारीख 2-7-85 पृष्ठ 1-2;

(5) का.आ. सं. 731 (अ) तारीख 8-10-85 पृष्ठ 1-2;

(6) का.आ. सं. 33(अ) तारीख 12-1-86 पृष्ठ 1-2;

(7) का. आ. सं. 362(अ) तारीख 18-6-86 पृष्ठ 1-2;

(8) का.आ. सं. 901(अ) तारीख 8 -12-86 पृष्ठ 1-2;

(9) का.आ. सं. 957(अ) तारीख 28-10-87 पृष्ठ 1-3;

(10) का. आ. सं. 777(अ) तारीख 22-8-88 पृष्ठ 1-3;

(11) का.आ. सं. 264(अ) तारीख 6-4-89 पृष्ठ 1-3;

(12) का.आ. सं. 357(अ) तारीख 15-5-89 पृष्ठ 1-3;

(13) का.आ. सं. 169(अ) तारीख 11-3-91 पृष्ठ 1-3;

(14) का.आ. सं. 257(अ) तारीख 11-4-91 पृष्ठ 1-4;

(15) का.आ. सं. 497(अ) तारीख 30-7-91 पृष्ठ 1-2;

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agricultural & Cooperation)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 1991

S.O. 818(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Central Government hereby notifies the names of the following Members of Parliament elected by the House of the People and the Councils of States on the Coconut Development Board and for that purpose amends the Government notification, in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) No. S.O. 21(E) dated the 12th January, 1981 as follows, namely :—

In the said notification for Serial No. 4B and 4C and the entries relating thereto, the following shall respectively be substituted, namely :—

"Elected under clause (e) of sub-section (4) of section 4 :

4B Shri Dattatraya Bandaru, MP (Lok Sabha) To represent House of People —Member

4C Shri N. Murugesan, MP (Lok Sabha) To represent House of People —Member

[File No. 14-1|89-HA]

NOTE : The principle constitution of the Coconut Development Board was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 12-1-1981 at pages 47-48 vide notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture No. S.O. 21(E) dated 12-1-1981 and was subsequently amended by :—

(i) S.O. No. 1237 dated 6-4-81 at pages 1289;

(ii) S.O. No. 675(E) dated 28-8-1981 at pages 1163-64;

(iii) S.O. No. 128(E) dated 2-3-1982 at pages 217-18;

(iv) S.O. No. 502(E) dated 2-7-1985 at pages 1—2;

(v) S.O. No. 731(E) dated 8-10-1985 at pages 1—2;

(vi) S.O. No. 33(E) dated 12-1-1986 at pages 1—2;

(vii) S.O. No. 362 (E) dated 18-6-1986 at pages 1—2;

(viii) S.O. No. 901 (E) dated 8-12-1986 at pages 1—2;

(ix) S.O. No. 957 (E) dated 28-10-1987 at pages 1—3;

(x) S.O. No. 777 (E) dated 22-8-1988 at pages 1—3;

(xi) S.O. No. 264(E) dated 6-4-1989 at pages 1—3;

(xii) S.O. No. 357 (E) dated 15-5-1989 at pages 1—3;

(xiii) S.O. No. 169 (E) dated 11-3-1991 at pages 1—3;

(xiv) S.O. No. 257 (E) dated 11-4-1991 at pages 1—4;

(xv) S.O. No. 497 (E) dated 30-7-1991 at pages 1—2.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 1991/अग्रहायण 14, 1913
No. 708] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 1991/AGRAHAYANA 14, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1991

का. आ. 830(अ).- केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि वह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यान को यान के कुल भार वजन अर्थात निरापद अधिकतम, लदान सहित वजन और प्रत्येक धुरी के निरापद अधिकतम धुरी वजन के लिए, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. 416 (अ) तारीख 8-6-1989 में विनिर्दिष्ट है, अनुमति दे सकेगी,

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त सारणी के नीचे विनिर्दिष्ट उपांतरणों/शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपधारा (3) के उपबंध उक्त प्रकार के यान को लागू होंगे।

सारणी

| यान का प्रकार | इंजन नं. | चैसी नं. | यान का सकल भार |
|---|---|---|---|
| अशोक लीलैंड | 25169938 | 17603 | सामने के एक्सल का भार – 9018 किग्रा. |
| चैसी एफ – 23 पर गढ़े | 25170155 | 17602 | |
| हुए क्रैश फायर टैंडर | 25170250 | 17702 | पीछे वाले एक्सल का भार – 20300 किग्रा. |
| | 25170248 | 17703 | |

यदि फायर टैंडरों को हवाई अड्डा क्षेत्र से बाहर प्रयोग में लाया जाता है तो उपर्युक्त छूट निम्नलिखित संशोधनों/शर्तों के अध्यधीन होगी :—

(1) मार्ग या मोड़ पर या उसके पास बाधाओं और प्रतिबाधाओं जैसे वृक्ष की शाखा और भवन का पूर्व निर्धारण करने के लिए सावधानी बरतनी होगी,

(2) केन्द्रीय सरकार उक्त यान के प्रचालन में या उसमें लदी वस्तुओं को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी,

(3) उक्त यान के संचलन/चलाने के कारण केन्द्रीय सरकार/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा अनुरक्षित या पर्यवेक्षित सड़क या सड़क के ढांचे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुए नुकसान के लिए ऑप्रेटर/मालिक उत्तरदायी होगा और उक्त ऑप्रेटर/मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नुकसानी राशि के संदाय के लिए जिम्मेदार होगा,

(4) उक्त यान सड़क/मार्ग पर सामान्य रूप से चलने वाले यातायात को बिना कोई बाधा या प्रतिबाधा पहुंचाए चलेगा,

(5) उक्त यान की सीमा को स्पष्ट और उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए उस पर आवश्यक चेतावनी सूचक जैसे दिन के समय में लाल झण्डे लगाए जाएंगे और रात के समय में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाएगा

(6) ऑप्रेटर/चालक को स्थानीय निकायों या अन्य सरकारी विभागों से उनकी सड़कों पर उक्त यान को चलाने के लिए आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी,

(7) राजमार्ग/पुल, पुलिया या अन्य सड़क या सड़क के ढांचे के प्राधिकारी उक्त यान के संचलन को आपात काल परिस्थितियों और सड़क के ढांचे की दशा के कारणों से रोकने के हकदार होंगे,

(8) उक्त यान के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट वजन को बढ़ाया नहीं जाएगा,

(9) उक्त यान राजमार्ग/सड़क के सम्बद्ध सहायक/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग को पर्याप्त/अग्रिम/पूर्व सूचना के पश्चात् चलाए जाएंगे,

(10) रेल के समतल पारण या ऊपरि/निचले पुल को पार करने से पहले रेल प्रशासन से अलग से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी,